



JALAUN POLICE

दिनांक – 18.10.2026

हवाई फायरिंग की सूचना पर पीआरवी एवं थाना कुठौन्द पुलिस द्वारा अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद पिस्टल व 02 अदद जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

अवगत कराना है कि आज दिनांक 18.10.2026 को डॉयल 112 पर सूचना प्राप्त हुयी कि राधाबल्लभ त्रिपाठी पुत्र श्रीमन नारायण उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम मदारीपुर थाना कुठौन्द जनपद जालौन द्वारा अपनी लाइसेन्सी पिस्टल से हवाई फायरिंग की गयी है। इस सूचना पर पीआरवी एवं थाना कुठौन्द पुलिस द्वारा मौके पर पहुँचकर जाँच करने पर पाया गया कि कॉलर सुभाष पुत्र स्व0 वालिकराम बाल्मीकि निवासी ग्राम बिचौली थाना कुठौन्द एवं राधाबल्लभ त्रिपाठी उपरोक्त के मध्य जुआ खेलने के दौरान गाली गलौज व मारपीट हो गयी थी। इसी दौरान राधाबल्लभ त्रिपाठी द्वारा अपनी लाइसेन्सी पिस्टल से हवाई फायर किया जाना पाया गया। राधाबल्लभ त्रिपाठी को एक अदद पिस्टल .32 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस .32 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया।

जिसके संबंध में थाना कुठौन्द पर पर मु0अ0सं0 159/2026 धारा 115(2)/125/352 बीएनएस-2023 व 30 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु अभियुक्तगण 1- सुभाष एवं राधाबल्लभ को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- 1-सुभाष पुत्र स्व0 वालिकराम बाल्मीकि उम्र करीब 18 वर्ष निवासी ग्राम बिचौली थाना कुठौन्द जनपद जालौन
- 2-राधाबल्लभ त्रिपाठी पुत्र श्रीमन नारायण उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम मदारीपुर थाना कुठौन्द जनपद जालौन

बरामदगी का विवरण-

- 1- 01 अदद पिस्टल 0.32 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस 0.32 बोर।

पुलिस टीम का विवरण –

- 1.पीआरवी टीम
- 2.थाना कुठौन्द पुलिस

112 पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। कॉलर की सूचना पर तत्काल रिस्पान्स करते हुए नियमानुसार बैधानिक कार्यवाही की जायेगी।